(110)

III/निग०/सिंगरौली/भू-रा०/2017/4222

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर , सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा {म०प्र०}

Rs-30/-

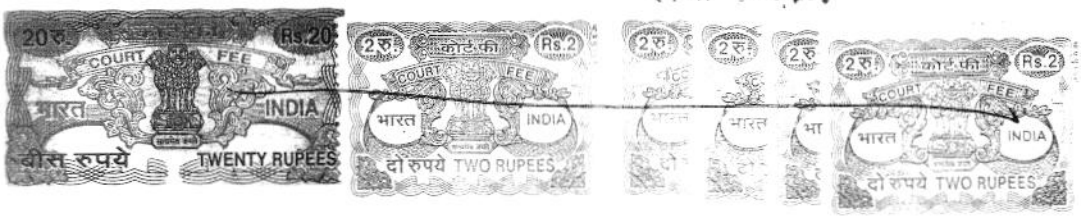

मोहनलाल पिता अनिरूद्ध प्रसाद भुर्तिया, नि० ग्रा० कन्धौली, तह० देवसर , जिला सिंगरौली {म०प्र०} ------ निगरानीकर्ता

बनाम

गोदिया पिता पहलादी कुम्हार, नि० ग्रा० कन्धौली, तह० देवसर, जिला- सिंगरौली {म०प्र०} --गैरनिगरानीकर्ता

अधि० श्री एन.के. मिश्रा
द्वारा पेश / 6-11-17

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली {म०प्र०} द्वारा मामला क्र०-67/निग०/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 09-10-2017 ..

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू-रा०सं०

महोदय,

निगरानी के आधार अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित हैं:

{1} यह कि विद्वान मातहत अदालत द्वारा पारित आलोच्य आदेश नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त एवं विधि प्रक्रिया के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

{2} यह कि वादित आराजी में निगराकार कापुस्तैनी कब्जा दखल था, जिसमें पहले निगराकार के पूर्वजों का पश्चात् निगराकार वादित आराजी में काबिज दाखिल होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है।

{3} यह कि अनावेदक जो मूल रूप से ग्राम कटौली, तह० देवसर, जिला सिंगरौली का निवासी है , चोरी-छिपे विचारण न्यायालय के समक्ष वादित आराजी का व्यवस्थापन /पट्टा अपने नाम कराए जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । जिसमें तहसीलदार महोदय ने वास्तविक कब्जेदार एवं मौके का मुआयना किए बगैर अनावेदक/गैरनिगराकार के पक्ष में कथित आदेश पारित किया जाना राजस्व अभिलेख में अंकित था । जिसकी जानकारी निगराकार को नहीं थी । जानकारी होने पर निगराकार द्वारा कथित उपरोक्त व्यवस्थापन/

XXXIX(a)-BR(H)-11

(2)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **III** / निग0 / भू–रा0 / 2017 / 4222 जिला–सिंगरौली

मोहनलाल प्रसाद भुर्तिया / गोदिया कुम्हार

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एन0के0 मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 67 / निगरानी / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	